पांच हिस्सों में बंटा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

■ ऊर्जा विभाग ने जारी की अधिसूचना ■ पांच साल में 14099 करोड़ रुपये सहायता देगी सरकार

संवाददाता ■ पटना

बीते शुक्रवार को राज्य कैबिनेट से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन की सहमति मिलने के बाद ऊर्जा विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी. एक नवंबर से बिजली बोर्ड पांच भागों में काम करेगा. इसमें एक होल्डिंग कंपनी होगी और शेष में एक संचरण, एक उत्पादन व दो वितरण के लिए उत्तर व दक्षिण क्षेत्र की कंपनियां होंगी. बिजली बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष प्रभात कुमार राय को पांचों कंपनियों का अध्यक्ष बनाया गया है.

कर्मचारियों की सेवा रहेगी बरकरार

पुनर्गठन के बावजूद राज्य सरकार सहायता देती रहेगी. पांच सालों में सरकार बोर्ड की पुनर्गठित पांचों कंपनियों पर 14,099 करोड़ रुपये खर्च करेगी. पांच हिस्से में बंटने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने वायदे के अनुसार कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बरकरार रखा है. पांच कंपनियों के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना बीते महीने ही जारी हो गयी थी. कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मामला फंसा था, जिस पर 20 अक्तूबर को मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी थी. सीएम से मिली सहमति के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष लाया गया. कैबिनेट से पारित होने के बाद शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी.

पांच साल में होना होगा आत्मनिर्भर

राज्य सरकार फिलहाल बोर्ड को 180 करोड़ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से सालाना 2160 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की सहायता दे रही थी. पुनर्गठन के पांच साल तक सरकार 14099 करोड़ रुपये इन कंपनियों पर खर्च करेगी. पांच साल के बाद राज्य सरकार इन कंपनियों को कोई सहायता नहीं देनी होगी. सरकार को उम्मीद है कि पुनर्गठन से बिजली कंपनियों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा.

इससे इन पांचों कंपनियों के प्रबंधन को पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाया जायेगा. ऋण प्राप्त करने के लिए सरकार की ओर से एक नीति भी बनायी गयी है. सरकार ने अपने किये गये वादे के अनुसार वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों का पूरा ख्याल रखा है. कर्मचारी संगठनों की ओर से किये गये वादे के अनुसार सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी पर अपनी मुहर लगायी है.

ये है पांचों कंपनियां

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड

निदेशक अंशकालिक : प्रधान सचिव वित्त, रामेश्वर सिंह, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग अजय नायक. ललन प्रसाद व टुनटुन झा, सदस्य बिजली बोर्ड, **अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक :** प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष, बिजली बोर्ड, पूर्णकालिक निदेशक, कार्मिक एवं प्रशासन : राणा अवधेश सिंह, सदस्य, बिजली बोर्ड, **पूर्णकालिक निदेशक, वित्त :** शिवानंद चंद्र गुप्ता, सदस्य वित्त एवं राजस्व, बिजली बोर्ड

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

निदेशक अंशकालिक : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, सदस्य (प्रशासन, वित्त एवं राजस्व, उत्पादन), बिजली बोर्ड, **अध्यक्ष :** प्रभात कुमार राय, बिजली बोर्ड के अध्यक्ष, **प्रबंध निदेशक :** टुनटुन झा, सदस्य संचरण, बिजली बोर्ड

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड

निदेशक अंशकालिक : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, सदस्य (वित्त एवं राजस्व, उत्पादन एवं संचरण), बिजली बोर्ड, **अध्यक्ष :** प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष, बिजली बोर्ड, **प्रबंध निदेशक :** ललन प्रसाद , सदस्य उत्पादन, बिजली बोर्ड

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

निदेशक अंशकालिक : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, सदस्य (वित्त एवं राजस्व, उत्पादन एवं संचरण) बिजली बोर्ड, **अध्यक्ष :** प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष बिजली बोर्ड, **प्रबंध निदेशक :** राणा अवधेश कुमार, सदस्य, प्रशासन बिजली बोर्ड

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

निदेशक अंशकालिक : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, सदस्य (प्रशासन, उत्पादन एवं संचरण), बिजली बोर्ड ,**अध्यक्ष :** प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष बिजली बोर्ड ,**प्रबंध निदेशक :** शिवानंद चंद्र गुप्ता, सदस्य वित्त एवं राजस्व, बिजली बोर्ड

बोर्ड का इतिहास

- **स्थापना :** 25 मार्च, 1958
- **काम शुरू हुआ :** एक अप्रैल, 1958
- **कार्यरत कर्मचारी :** 10 हजार से अधिक
- **सर्किल :** सात, अंचल : 16 व विद्युत आपूर्ति प्रमंडल : 65
- वर्ष 2003 में विद्युत अधिनियम पारित होने के बाद बोर्ड पर विभाजन का खतरा
- 2012 में इस पर अमल हुआ और बोर्ड विधिवत पांच हिस्सों में बंट गया